

न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनूप सिंह (आरटीएस)

दिनांक-17.12.19

मि.न.123/2019

सरकार बनाम बिशम्बर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चर्तुभुज ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम चर्तुभुज तहसील कोटपूतली के ख0 न0 660/20.0है0 किस्म गै0मु0 भूमि मेंसे 0.75है0 पर बिशम्बर पुत्र सुरजभान जाति माली ने जोत लगा कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये जबाब पेश नहीं किया। जिसके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सके । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसाल बिशम्बर पुत्र सुरजभान जाति माली द्वारा वाके ग्राम चर्तुभुज के खसरा नंबर 660है0 किस्म जमीन सिवायचक भूमि मेंसे 0.75है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः बिशम्बर पुत्र सुरजभान जाति माली को वाके ग्राम चर्तुभुज तहसील कोटपूतली के ख0 न0 660/20.0है0,किस्म सिवायचक बंजड मे से 0.75है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल को उक्त आराजीयात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 2 रु. का पचास गुणा 100 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया

तहसीलदार
कोटपूतली जयपुर

जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को कूरवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जय)

शुं 200 0... के रा० ल० व
न पुस्त संख्या पर

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

